

22/11/2017

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

सेवा में,

सचिव,
पर्यटन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

2931
C.E.I(H2) / K.P. Upmeh

2613

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं
विभागध्यक्ष
22 NOV 2017
उत्तराखण्ड लोक निर्माण वि. देहरादून

गौरीकुण्ड अभियन्ता
लोक निर्माण वि.

PH to HO
22/11/17
CAO

संख्या: 714 / 34-05 / (2017-18) /

दिनांक : रुद्रप्रयाग नवम्बर 15, 2017।

विशय: श्री केदारनाथधाम में प्रस्तावित पुनर्निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यों को P.W.A. (Pice Work Agreement) एवं वर्कचार्ज/मस्टर रौल द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अधिशासी अभियन्ता सिविल कार्य इकाई डी0डी0एम0ए0 रुद्रप्रयाग ने अपने पत्र संख्या-332/C.W.U- DDMA दिनांक 10-11-2017 के द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री गौरीकुण्ड से श्री केदारनाथ धाम तक पैदल मार्ग एवं श्री केदारनाथ धाम परिसर में अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्माण कार्य किये जाने प्रस्तावित है। भारत सरकार तथा उत्तराखण्ड सरकार द्वारा लगातार अनुश्रवण एवं समीक्षा कर श्री केदारनाथ धाम में उक्त प्रस्तावित निर्माण कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। आगामी यात्रा सीजन 2018 से पूर्व व सर्दी अथवा वर्षवारी के दृष्टिगत अत्यन्त अल्प अवधि ही निर्माण कार्य कराये जाने है। कार्यों की महत्ता तत्कालिकता, अपरिहार्यता तथा विषम भौगोलिक परिस्थितियों के मध्यनजर उक्त कार्यों को निविदा प्रणाली से मुक्त रखते हुए P.W.A. (Pice Work Agreement) अर्थात् बड़े कार्यों को आवश्यकतानुसार छोटे-छोटे कार्यों में आवंटित करने, विभागीय पद्धति अनुसार यथा वर्क चार्ज/मस्टर रौल द्वारा ही कार्यों को समयान्तर्गत सम्पादित कराया जा सकता है। साथ ही डी0डी0एम0ए0 के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था नेहरू पर्वतारोहण संस्थान(निम) द्वारा श्री केदारनाथ धाम में गतिमान पुर्ननिर्माण कार्यों को अपनाये जा रहे पद्धति के अनुसार ही उक्त प्रस्तावित कार्यों को करने की आवश्यकता है।


अतः उक्त के क्रम में अनुरोध करना है कि गौरीकुण्ड से केदारनाथ धाम तक तथा श्री केदारनाथ धाम में किये जाने वाले पुर्ननिर्माण कार्यों को श्री केदारनाथ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों व समयान्तर्गत निर्माण कार्यों को पूर्ण किये जाने की अपरिहार्यता के दृष्टिगत उक्त कार्यों को निविदा प्रणाली से मुक्त रखते हुए P.W.A. (Pice Work Agreement) अर्थात् बड़े

कार्यों को आवश्यकतानुसार छोटे-छोटे कार्यों में आवंटित करने, विभागीय पद्धति अनुसार यथा वर्क चार्ज/मस्टर रौल द्वारा ही कार्यों को समयान्तर्गत सम्पादित कराये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मंगेश घिल्डियाल),
आई०ए०एस०,
जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

- प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 1- अपर सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन देहरादून ।
 - 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून ।
 - 3- सचिव, वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून ।
 - 4- आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी ।
 - 5- प्रमुख अभियन्ता, एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून ।
 - 6- अधिशासी अभियन्ता, सिविल कार्य इकाई, DDMA रुद्रप्रयाग ।



जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।